

भारत सरकार  
शहरी विकास मंत्रालय  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3238  
21 दिसम्बर, 2011 को उत्तर के लिए

'kgjh fodkl ; kst uk, a

3238- Jh ekqEen vyh [kku%  
Jherh Vhñ j Rukckb%

D; k 'kgjh fodkl ea=h ; g crkus dh di k djxs fd%

¼d½ D; k l jdkj thou dh xqkoÙkk ea l ðkkj djus gsrq 'kgjh fodkl ; kst ukvka dks  
vfHkl fjr djus ij dk; Z dj jgh g

¼k½ ; fn gkq rks rRI cakh C; kSj D; k gS vkSj bl l cak ea iR; sd jkT; ds fopkj  
D; k gS vkSj

¼x½ ; fn ughq rks ml ds dkj .k D; k g

उत्तर  
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री  
( श्री सौगत राय )

(क) से (ग) : इस समय शहरी विकास परियोजनाओं को समाभिरूप बनाने की ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, 3 दिसंबर, 2005 को शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत जिसमें कि बड़े शहरों और छोटे कस्बों के लिए जल आपूर्ति, सीवरेज आदि की मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है, केन्द्रीय सरकार 1 मिलियन से भी अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों सहित अभिज्ञात किए गए 65 शहरों और राज्यों की राजधानियों और धार्मिक/पर्यटन और ऐतिहासिक महत्ता के अन्य शहरों/केन्द्र शासित प्रदेशों में जल आपूर्ति, सीवेज, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं सहित अवसंरचना का विकास करने के लिए सुधार-संबद्ध सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त जेएनएनयूआरएम के घटक, छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के द्वारा एक मिलियन से कम की जनसंख्या वाले छोटे और मझोले कस्बों में इसी प्रकार की अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

